न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी(राज.)

दायर दिनांक: 28.09.2021

प्रार्थना–पत्र संख्या :–160 / 2021
RCMS NO:- 2021/297
पीठासीन अधिकारी :–श्योराम (आर.ए.एस.)

1. काली बाई पत्नी रामफूल जाति धाकड निवासी हीरापुर तहसील नैनवां जिला बून्दी ।

–प्रार्थी–

बनाम

1. राजस्थान सरकार भू–स्वामी जर्ये तहसीलदार साहब नैनवां जिला बून्दी।

–अप्रार्थी–

वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 251 ए आर.टी एक्ट

उपस्थिति–
प्रार्थी एवं अप्रार्थी

निर्णय दिनांक 02.12.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम बामनगांव पटवार मण्डल बामनगांव तहसील नैनवां में भूमि प्रार्थीया के खातेदारी की खाता संख्या 81 के खसरा संख्या 2138 कृषि भूमि स्थित है। यह कि प्रार्थिया के खेत में आने जाने का रास्ता नैनवां से समीधी जाने वाली मुख्य सडक के दक्षिणी ओर स्थित खसरा संख्या 1965 सिवायचक भूमि की पश्चिमी मेड के सहारे सहारे होकर खसरा संख्या 2138 तक पहुंचता है। इस रास्ते को नक्शा परिशिष्ट अ में लाल स्याही से दर्शाया है। यह कि उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के खाते की जमीन पर आने जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। इसलिए प्रार्थीगण को अपने खाते की भूमि पर आने जाने व कृषि उपज लाने ले जाने के लिऐ रास्ता दिलाया जाना आवश्यक है। जिसकी राशि प्रार्थीगण नियमानुसार जमा करवाने को तैयार है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में परिशिष्ट अ,नकल जमाबंदी, नकल नक्शा ट्रेस तथा शपथ–पत्र आदि पेश किये।

रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में तहसीलदार नैनवां से रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिसके अनुसार प्रार्थीगण की भूमि तक पहुँचने के लिए प्रस्तावित रास्ता के अतिरिक्त कोई अन्य सीधा एवं सुगम रास्ता का विकल्प नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा चाहे गए रास्ते में भूमि खसरा संख्या 1964 सिवायचक में से रकबा 1 गठ्ठा • 14 गठ्ठा = 14 वर्ग गठ्ठा भूमि, खसरा संख्या 1965 सिवायचक में से रकबा 1 गठ्ठा • 14 गठ्ठा = 14 वर्ग गठ्ठा भूमि दिया जाना उचित होगा। यह कि प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस में लाल स्यांही से दर्शाया गया है।

हमने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेज एवं रास्ता रिपोर्ट तहसीलदार नैनवां का अवलोकन किया। पत्रावली प्रषासन गांवों के संग अभियान केम्प कोर्ट बामनगांव में पेश हुई । उपस्थित पक्षकारान की प्रार्थना पत्र में बहस सुनी गयी। प्रार्थीगण को रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तहसीलदार नैनवां ने भी अपने जवाब/रिपोर्ट में प्रार्थीगण को प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस के अनुसार रास्ता दिया जाना उचित बताया है। ग्राम बामनगांव पटवार मण्डल बामनगांव तहसील नैनवां में भूमि प्रार्थीया के खातेदारी की खाता संख्या 81 के खसरा संख्या 2138 कृषि भूमि पर पहुंचने के लिए भूमि खसरा संख्या 1964 सिवायचक में से रकबा 1 गठ्ठा • 14 गठ्ठा = 14 वर्ग गठ्ठा भूमि तथा खसरा संख्या 1965 सिवायचक में से रकबा 1 गठ्ठा • 14 गठ्ठा = 14 वर्ग गठ्ठा भूमि, जिसे नक्शा ट्रेस परिशिष्ट "क" में लाल डोटेड लाइन से अंकित किया गया है, को रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। जितनी भूमि रास्ते के उपयोग में ली गई है उसकी भूमि की कीमत का नियमानुसार प्रतिकर राजकोष में जमा होने के उपरान्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किया जाकर नक्शा

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:32:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Reader/Decesion/2021

Scanned with CamScanner

शिष्ठ को परिशिष्ठ 'क' नाम दिया गया है जो न्यायालय निर्णय का अभिन्न अंग होगा। तहसीलदार नैनवां को आदेशित किया जाता है कि मौके पर रास्ता बहाल कर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शे में दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 02.12.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:52:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner